

प्रति

अवर सचिव,

छग शासन उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छग)

विषय:- डॉ0 आमा त्रिपाठी पदो. प्रा. समाज शास्त्र द्वारा प्रभारी प्राचार्य तथा आहरण संवितरण अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन का प्रेषण।

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि प्रभारी प्राचार्य तथा आहरण संवितरण अधिकारी का दिनांक 08.04.2023 को निघन हो जाने के फलस्वरूप अवर सचिव छग शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 3-23/2023/38-1 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 26-05-23 के परिपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ता डॉ0 आमा त्रिपाठी पदो. प्रा. समाज शास्त्र द्वारा प्रभारी प्राचार्य तथा आहरण संवितरण अधिकारी के रूप में दिनांक 5-6-23 को कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन सादर संप्रेषित।

संलग्न:- 1(वित्तीय नियम 144 कार्यभार सौंपने तथा ग्रहण करने संबंधी रिपोर्ट)
2शासन के आदेश की छायाप्रति

(डॉ0 आमा त्रिपाठी)
Principal

Sant Shiromani Guru Ravidas
Govt. College Sargaon
Mungeli (C.G.)

सरगांव दिनांक 06/06/23

पृ.क्र. 790/स्था./2023

प्रतिलिपि:-

01. आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छग)
02. महालेखाकार छग रायपुर । (वित्तीय नियम 144 कार्यभार सौंपने तथा ग्रहण करने संबंधी रिपोर्ट व आदेश)
03. कलेक्टर, जिला मुंगेली (छग)
04. क्षेत्रीय अपरसंचालक, उच्च शिक्षा बिलासपुर (छग)
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला मुंगेली (छग)
06. डॉ0 आमा त्रिपाठी पदो. प्रा. समाजशास्त्र संतशिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय सरगांव जिला मुंगेली (छग)
07. मननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी के विशेष सहायक मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर (छग) की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित।

Principal

Sant Shiromani Guru Ravidas
Govt. College Sargaon
Mungeli (C.G.)

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

:: मंत्रालय ::

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर

- - 0 - -

:: आदेश ::

26 MAY 2023

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /05/2023

कमांक एफ 3-23/2023/38-1 :: डॉ. आभा त्रिपाठी, पदोन्नत सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.) के प्राचार्य का दायित्व सौंपते हुए, वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 के खण्ड-एक (वित्तीय नियमों के अधीन वित्तीय शक्तियाँ) के बिन्दु कमांक-5 अनुसार उन्हें उक्त महाविद्यालय हेतु आहरण संवितरण अधिकारी भी अधिकृत किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(आर.ए.निर्मलकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 26/05/2023

पृ. कमांक एफ 3-23/2023/38-1
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर, छ.ग. की ओर उनके ज्ञापन कमांक 80/724/आउशि/राज.स्था/2023, दिनांक 24.04.2023 के संदर्भ में,
 2. आयुक्त, बस्तर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)
 3. महालेखाकार, छ.ग., रायपुर,
 4. कलेक्टर, जिला-मुंगेली (छ.ग.),
 5. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, बिलासपुर (छ.ग.),
 6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला-मुंगेली(छ.ग.),
 7. प्राचार्य, संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
 8. डॉ. आभा त्रिपाठी, पदोन्नत सहायक प्राध्यापक (समाजशास्त्र) संत शिरोमणी गुरु रविदास शासकीय महाविद्यालय, सरगांव, जिला-मुंगेली (छ.ग.)
 10. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
 11. आर्डर फोल्डर।
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग